

डिग्री बमुक्तदमें ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीतासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-232/2019

1. विनोद कुमार }
2. राजकुमार } पि० कालुराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला
3. शिवभगवान } हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1. रेडाराम पुत्र बीरबलराम } जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला
2. नीरादेवी पत्नी रेडाराम } हनुमानगढ।
3. कमला पत्नी राजाराम पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।
4. संतोष पत्नी रणजीत पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी
5. लीलावती पत्नी जगदीश पुत्री रेडाराम } जिला हनुमानगढ।
6. सावित्री देवी पत्नी काशीराम पुत्री रेडाराम } जाति जाट निवासी फतेहगढ तहसील
7. तारावती पत्नी इन्द्राज पुत्री रेडाराम } व जिला हनुमानगढ।
8. नारायणी पत्नी हेतराम पुत्री रेडाराम } जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील
9. कृष्णा पत्नी भूपसिंह पुत्री रेडाराम } रावतसर जिला हनुमानगढ।
10. धापी देवी पत्नी खेतपाल पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व
जिला हनुमानगढ।

11. भंवरी देवी पत्नी कालूराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तह० टिब्बी।

12. कालूराम पुत्र रेडाराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुक्तदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील वादी नरेन्द्रपाल वर्मा मिन जाकिन मुदई श्री विजय बैनीवाल प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकन० 15 एसएल डबल्यू के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 38/52 में कुल 3.036 है० नहरी मय गै०मु० कृषि भूमि के वादीगण को ब०हि०ब० तथा चकन० 13 एसएल डबल्यू के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 92/112 में कुल 4.427 है० नहरी कृषि भूमि मे से वादी सं० 1 विनोद कुमार को 0.338 है० भूमि तथा वादीसं० 2 व 3 को 4.089 है० कृषि भूमि ब०हि०ब० के खातेदार कारतकार घोषित किये जाकर चकन० 15 एसएल डबल्यू के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 38/52 व चकन० 13 एसएल डबल्यू के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 92/112 में से प्रतिवादी सं० 1 रेडाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुखिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा

मुक्तदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

असा करें।

बस्तके
किया गये।

मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....4-10-19.....को जारी

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी